सन्देश

किसान भाइयों को मण्डी में ले आकर अपने उत्पाद की बिक्री करने हेतु कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। क्रेता व्यापारियों द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादकों के प्रथम थोक क्रय-विक्रय पर मात्र एक बार 2 प्रतिशत मण्डी शुल्क तथा 1/2 प्रतिशत विकास सेस अदा करना पड़ता है। किसान भाइयों को चाहिए कि उपने उत्पाद की बिक्री करने के पश्चात् 6-आर रसीद (विक्रेता वाउचर) क्रेता व्यापारियों से अवश्य प्राप्त कर लें। 6-आर रसीद (विक्रेता वाउचर) में उत्पाद का नाप, तौल, मात्रा, दर व कुल मुल्य का विवरण अकिंत होता है। 6-आर रसीद प्राप्त कर लेने के बाद किसान भाइयों के सामने बिक्री के सम्बन्ध में किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी तथा इसी 6-आर के आधार पर मण्डी परिषद द्वारा संचालित मण्डी आवक-किसान उपहार योजना के अन्तर्गत पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते है। जिसकी जानकारी इसी पुस्तक में उपलब्ध है।

मण्डी परिषद
उत्तर प्रदेश

निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की सूची

(कुल संख्या 107)

कृषि:-

(क) अन्नः- 1. गेहूँ 2. जौ, 3. धान, 4. चावल, 5. ज्वार, 6. बाजरा, 7. मक्का, 8. बेझर, 9. जई।

(ख) द्वि-दलीय उत्पादः- 1. चना, 2. अरहर, 3. उर्द, 4. मूंग, 5. मसूर, 6. मटर 7. लोबिया (बीज), 8. सोयाबीन, 9. सनई (बीज), 10. ढैंचा (बीज), 11. ग्वार।

(ग) तिलहनः- 1. सभी प्रकार की सरसों तथा लाही (जिसमें राई, दुवाॅ, तारामीरा और तोरिया भी सम्मिलित है), 2. सेहुआ (बीज), 3. अलसी, 4. अण्डी, 5. मूंगीफली, 6. तिल, 7. महुआ की गुठली, 8. गुल्लू, 9. बर्रे अथवा कुसुम (बीज), 10. नारियल, 11. सूरजमुखी बीज।

(घ) रेशेः- 1. जूट, 2. सनई का रेशा, 3. रूई (ओटी हुयी और बिना ओटी हुयी), 4. पटसन, 5. ढैंचा, 6. रामबांस, 7. मेसुटा।

(ङ) स्वापकः- 1 तम्बाकू।

(च) मसालेः- 1. धनिया, 2. पकी मिर्च, 3. मेथी (बीज), 4. हल्दी, 5. घटाई अमचूर।

(छ) विविधः- 1. पोस्ता, 2. महुआ का फूल (सूखा), 3. गुड़ 4. राव, 5. शक्कर, 6. खांडसारी, 7. जगरी, 8. मखाना, 9. मेन्था प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिन्ट उनके तेल और तेलों से निकाले गये ठोस पदार्थ ओर ठोस पदार्थ निकालने के पश्चात् बचा अवशेष।

उद्यान कर्मः-

(क) शाकः- 1. आलू, 2. प्याज 3. लहसुन 4. अरवी 5. अदरक 6. हरी मिर्च 7. टमाटर 8. बन्दगोभी/फूलगोभी 9. गाजर 10. मूली 11. बैंगन 12. टिण्डा 13. लौकी 14. हरी मटर 15. परवल 16. कटहल (कच्चा) 17. ककडी-खीरा, 18.पेठा 19. भिण्डी 20. कद्दू 21. करेला 22. तरोई 23. शकरकन्द।

(ख) फल :- 1. नींबू, 2. नारंगी, 3. मुसम्मी, 4. माल्टा, 5. ग्रेट फ्रूट, 6. केला, 7. अनार, 8. खरबूजा, 9. तरबूज, 10. पपीता, 11. सेव 12. अमरूद 13. बेर 14. आंवला 15. लीची, 16. लीची 17. आड़ू, 18. लोकाट, 19. आम, 20. कटहल (पक्का), 21. खुबानी, 22. नाशपाती व नाख, 23. चकोतरा

दाक्षा–कृषि :– 1.अंगूर

पशुपालन उत्पाद:– 1. घी, 2. खाल और चमड़ा

वन उत्पाद :– 1. गोंद, 2. लकड़ी, 3. तेंदू का पत्ता, 4. खैर की लकड़ी/कत्था (अन्तिम अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्णय होना है) 5. लाख

मत्स्य सम्बर्धन :– 1. मत्स्य

कृषि मण्डियों के विकास पर एक विहंगम दृष्टि

वर्ष 1964 में उ.प्र. कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम पारित किया गया ताकि परम्परागत कृषि में व्याप्त कुरीतियों, गैर कानूनी कटौतिया और बिचौलियों के अनुचित प्रभाव को समाप्त कर कृषि विपणन की स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना की जा सके। इसे अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित मण्डियों के गठन का कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1965–66 तक प्रदेश में विनियमित मण्डियों की संख्या मात्र 2 थी जो अब बढ़कर 244 हो गयी है। इनके साथ 346 उप मण्डियां भी सम्बद्ध है। अब समग्र प्रदेश विनियमन के अन्तर्गत आ चुका है।

मण्डी विनियमन

मण्डियों में कृषि उपज के विपणन की कुल प्रक्रिया को व्यवस्थाबद्ध कर देना ही मण्डी विनियमन है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बिक्री करायी जाती है। प्रत्येक किसान की सहमति से सौदा तय होता है तथा मीट्रिक प्रणाली से सही माप–तौल करा करके किसानों को विक्रय का भुगतान तुरन्त कराया जाता है।

मण्डी विनियम के मूल उद्देश्य

1. परम्परागत मण्डियों में प्रचलित कृषक–उत्पादक विक्रेताओं से वसूले जाने वाले विविध व्यापरिक खर्चो को कम करना।
2. माप–तौल की गड़बड़ी को रोकना तथा इसके लिए मण्डी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले बाटों, मापों तथा तौल–माप के यंत्रों की सामयिक जांच व सत्यापन सुनिश्चित करना।
3. कृषक हितों की रक्षा हेतु कृषकों के उचित प्रतिनिधित्व वाली मण्डी समितियों की स्तीापना।

4. मण्डी में आवश्यक सुख-सुविधायें उपलब्ध कराना।
5. बिक्री के सम्बन्ध मं होने वाले विवादों का न्यायपूर्ण समाधान करना।
6. बेहतर भण्डारण सुविधायें उपलब्ध कराना।
7. विक्रेता कृषक से होने वाली अनाधिकृत कटौतियों को रोकना।
8. कृषकों के लिए बाजार भावों आदि जैसी आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराना।

मण्डी परिषद

कृषि उपज मण्डियों के कार्य संचालन हेतु सम्पूर्ण प्रदेश को मण्डी क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक मण्डी क्षेत्र हेतु एक मण्डी समिति के गठन की व्यवस्था है। प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत एक प्रधान मण्डी स्थल जहां पर समिति का कार्यालय स्थापित होता है, के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार उप मण्डी स्थलों को भी घोषित किया गया है। मण्डी समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मण्डी समिति का सचिव होता है। मण्डी समिति तथा सभापति के समस्त अधिकार, कृत्य एवं कर्तव्य वर्तमान में जिलाधिकारी में निहित है किन्तु उनके द्वारा यह अधिकार उप जिलाधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी को प्रतिनिधानित किये गये है।

मण्डी समिति के मुख्य कर्त्तव्य एवं दायित्व

1. कृषि उपज के क्रेता-विक्रेता के मध्य न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करना।
2. बिक्री योग्य कृषि उपज का वर्गीकरण तथा नीलामी द्वारा बिक्री कराना।
3. मीट्रिक प्रणाली से ही माप-तौल की व्यवस्था कराते हुए बिक्री हुई उपज का तुरन्त भुगतान कराना।
4. क्रेता-विक्रता के लिए उपयोगी सूचनाओं का संकलन व प्रचार।
5. क्रय-विक्रय की स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना व मण्डी स्थलो में आवश्यक सुख सुविधाओं की व्स्था सुनिश्चत करना।
6. बिकी हुई कृषि उपज का तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराना।
7. किसी विवाद की स्थिति में न्यायपूर्ण समाधान के लिए मध्यस्थता करना।
8. बाजार भावों तथा अन्य उपयोगी सूचनाओं का संग्रह और प्रचार-प्रसार करना।
9. व्यापारियों तथा कृषकों के बीच विवाद एवं मतभेद होने पर मध्यस्थ की भूमिका निभाना तथा उनका निराकरण करना।

10. मण्डी स्थलों के निर्माणार्थ भूमि अर्जन करना तथा निर्माण के नक्शे तैयार करने के साथ-साथ आय व व्यय का विधिवत लेखा जोखा रखना।

मण्डी परिषद

मण्डी समितियों के कार्य संचालन तथा उनकी विकास योजनाओं की निगरानी, नियंत्रण एवं मार्ग दर्शन के लिए प्रदेश स्तर पर वर्ष-1973 में 'राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद' की स्थापना की गयी है। मण्डी परिषद, मण्डी समितियों में अधिनियम के प्रविधनों को तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनायें लागू करने और उनकी निर्माण परियोजना के अनुसार निर्माण कार्य कराने की कार्यवाहियां सम्पादित करती है तथा अधिनियम के अन्तर्गत नये मण्डी क्षेत्रों/उपमण्डी स्थलों के विनियमन, निर्मित मण्डी स्थलों में व्यापार सीानान्तरण, विनियमन हेतु निर्दिष्ट कृषि उत्पादों को अधिसूचित कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्यो के लिए समिति और शासन के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है।

मण्डी परिषद द्वारा प्रदेश की मण्डी समितियां के विभिन्न कार्यकलापों के स्थानीय पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण हेतु प्रदेश को 15 प्रशासनिक संभागीय कार्यालयों में विभक्त किया गया है जिनके कर्यालयाध्यक्ष के रूप सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन) के पदों पर उ0प्र0 प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण तैनात है। यह कार्यालय (1) मेरठ (2) आगरा (3) झांसी (4) इलाहाबाद (5) वाराणसी (6) गोरखपुर (7) लखनऊ (8) बरेली (9) मुरादाबाद (10) कानपुर (11) फैजाबाद (12) आजमगढ़ (13) मिर्जापर (14) सहारनपुर (15) बस्ती में सीापित हैं।

मण्डी समितियों द्वारा अपने क्षेत्रों में मण्डी स्थल विकास के साथ-साथ विभिन्न निर्माण कार्य भी अपने संसाधनों से सम्पादित कराये जाते है। इन कार्यो को कराने के लिए निर्माण खण्डों एवं विद्युत यंत्रिक खण्डों की स्थापना की गयी हे। निर्माण खण्डों का कार्य संचालन क्षेत्रीय उपनिदेद्दाक (निर्माण) की देख रेख में सम्पादित होता है जो अभियन्त्रण शाखा के अधिकारी है। निर्माण खण्डों पर भी स्थानीय नियंत्रण संभागीय उपनिदेशक (प्रशा0) का है। उपनिदेशक (निर्माण) के कार्यालय निम्ननिलिखत शहरों में स्थापित है:-

1. मे्रठ 2. गाजियाबाद 3. बुलन्दशहर 4. आगरा 5. अलीगढ़ 6. फिरोजाबाद 7. झांसी 8. इलाहाबाद 9. फतेहपुर 10. वाराणसी 11. गोरखपुर 12. लखनऊ-1 13. लखनऊ-2 14. लखनऊ-3 15. सीतापुर 16. बरेली 17. पीलीभीत 18. शाहजहांपुर 19. बदायूं 20. मुरादाबाद 21. रामपुर 22. कानपुर नगर 23. कानपुर देहात 24. फरूखाबाद 25. फैजाबाद-1 26. फैजाबाद-2 27. सुल्तानपुर 28. आजमगढ 29. मिर्जापुर 30. सहारनपुर 31. बस्ती 32. अनुरक्षण खण्ड, लखनऊ।

विनियमित मण्डियों की आवक एवं आय

कृषि वर्ष	आवक (लाख मी.टन)	कुल आय (करोड़ रू0 में)
1972–73	37.90	1.92
1973–74	39.90	4.65
1974–75	40.29	5.56
1975–76	84.25	8.71
1976–77	93.03	11.81
1977–78	88.44	12.25
1978–79	107.43	13.01
1979–80	88.96	14.02
1980–81	106.48	18.67
1981–82	118.19	20.34
1982–83	121.59	21.67
1983–84	136.46	32.69
1984–85	154.46	30.42
1985–86	171.35	35.21
1986–87	184.89	38.86
1987–88	181.53	41.94
1988–89	199.91	45.99
1989–90	222.55	55.37
1990–91	223.09	88.93
1991–92	213.90	110.66
1992–93	234.91	103.65
1993–94	238.09	117.65

1994–95	235.71	150.78
1995–96	240.56	179.88
1996–97	238.35	179.23
1997–98	251.25	210.88
1998–99	249.05	248.14
1999–2000	273.98	273.33
● 2000–2001	268.85	265.42
2001–2002	283.25	295.34
2002–2003	282.54	302.10
2003–2004	348.42	267.31

● उत्तरांचल राज्य गठित होने के पश्चात् की स्थिति

मण्डी समितियों की विकास योजनायें

मण्डी समितियाॅ सतत अनुक्रम वाली निगमित निकाय है। अधिनियम के प्राविधानानुसार क्रेता व्यापारी के निर्दिश्ट कृषि उत्पाद के क्रय-विक्रय पर 2 प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क तथा 0.5 प्रतिशत की दर से विकास सेस से वसूली करती है। मण्डी समितियों को मण्डी शुल्क एवं विकास संस के रूप में 90 प्रतिशत आय प्राप्त होती है। मण्डी समितियों द्वारा अर्जित आय से स्थापना व्ययों के अतिरिक्त विभिन्न विकास योजनाओं तथा कल्याणकारी योजनाओं में व्यय किया जाता है। मण्डी समितियों की मुख्य विकास योजनाओं तथा कल्याणकारी योजनायें इस प्रकार है:-

मण्डी स्थलों के निर्माण व विकास

मण्डी समितियों की पहली प्राथमिकता मण्डी स्थलों के निर्माण की है जिससे कृषि जिन्सों के थाक व्यापार को एक परिसर में लाकर मण्डी अधिनियम के प्राविधानों को प्रभावी ढंग से लागू कराया जा सके। जिन सीानों पर मण्डी स्थल निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि प्राप्त हो जाती है, वहाॅ पर मण्डी स्थल निर्माण कराकर व्यापारियों तथा कृषकों दोनों के हित में व्यापार सीानान्तरण कराया जाता है। प्रदेश में अब तक मण्डी परिषद द्वारा 195 मुख्य मण्डी स्थल, 78 उपमण्डी स्थल, 63 फल-सब्जी मण्डी स्थल, 224 हाट पैठों एवं 05 मछली बाजारों का निर्माण पूरा कराया जा चुका है।

मण्डियों में उपलब्ध सुविधायें।

- मण्डी स्थलों में स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए सुविधाओं का सृजन किया जाता है। निर्मित मण्डी स्थलों में उपलब्ध सुविधायें निम्न प्रकार है:-
- धर्म कांटा।
- स्वच्छ पेयजल व्यवस्था।
- पशुओ को ठहरने हेतु छायादार शेड एवं चरही की व्यवस्था।
- जिन्सों की सफाई, छनाई की व्वस्था।
- खुले तथा छायादार नीलामी चबुतरे।
- उत्पाद भण्डारण की सुविधा हेतु ग्रामीण गोदाम।
- मण्डी स्थल के अन्दर निर्मित किसान बाजार में सामान्य वस्तुओं की उपलब्धता।
- बैंक, पोस्ट आफिस एवं पुलिस चौकियों की सुविधा
- किसान विश्राम गृह।
- टेलीफोन।
- कैण्टीन।
- किसानों और व्यापारियों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार।
- बिक्री योग्न कृषि उपज का वर्गीकरण तथा नीलामी द्वारा बिक्री।
- मीट्रिक प्रणाली से सही माप-तौल की सही बिक्री की व्यवथा कराते हुए बिक्री उपज का तुरन्त भुगतान।

सम्पर्क मार्ग निर्माण

गांवों के किसान उपयुक्त मार्गो/सड़कों के अभाव में मण्डी विनियमन की सुविधाओं से वंचित रहते है और परम्परागत विचौलियों तथा ग्रामीण महाजनों के हाथ फसल बेचने के लिए बाध्य होते हें। कृषकों एवं सामान्य जनता के लिए उनकी कठिनाइयों को दूर करने तथा विनियमित मण्डियों में उत्पाद को लाने में सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सम्पर्क मार्गो का निर्माण मण्डी समितियों द्वारा कराया जा रहा है। सम्पर्क मार्गो के निर्माण का कार्य मण्डी समितियों के पास धन उपलब्ध न होने की दशा में ही किया जाता है और इसके लिए मण्डी समिति/जिलाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। अब तक प्रदेश में 9590 कि0मी0 सड़कों को पक्का करने का कार्य मण्डी समितियों द्वारा कराया जा चुका है।

मण्डी परिषद द्वारा यह व्यवस्था प्रारम्भ की जा चुकी है कि नई सड़कों के निर्माणोपरान्त तीन वर्ष का अनुरक्षण भी बिना अतिरिक्त व्ययभार के सुनिश्चित रहे।

मण्डियों के वृहद कम्पयूटरीकरण की योजना

प्रदेश में पहली बार 65 प्रमुख मण्डियों में कम्पयूटराइजेशन सहित फसलोत्तर प्रबन्धन हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। मण्डी परिषद/मण्डी समितियों की सूचनाओं को घर बैठे उपलबध कराये जाने के उद्देश्य से बेबसाइट विकसित करायी गयी है। जिसका पता www.upagrimart.com है।

मुख्यालय को सम्भागीय उपनिदेशक (प्र.) /निर्माण कार्यालय तथा मण्डी समितियों से नेटवर्क करने के लिए तथा मण्डियों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए एक त्रिवर्षीय चरणबद्ध योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय परिषद द्वारा लिया गया है।

लोहिया ग्राम योजनाः-

मण्डी परिषद द्वारा प्रदेश के कृषकों के कल्याण हेतु प्रदेश स्तर पर 200 पिछ्ड़े गांवों को चिन्हित करके रू0 10 लाख प्रति ग्राम की लागत से उनमें अवस्थापना सुविधाओं यथा-रोड, नाली, शुद्ध पेयजल व्वस्था, विद्युतीकरण तथा अन्य सामुदायिक कार्य करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में इस वर्ष एक ग्राम चयन करना प्रस्तावित है।

❖ विपणन विकास की नई डगर

- ❖ नोएडा में पुष्प नीलामी केन्द्र-सह-थोक मण्डी एवं आधुनिक फल-सब्जी मण्डी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के लिए कुल तीस एकड़ भूमि की व्वस्था की गयी है। परियोजना के प्रथम चरण में 06 एकड़ भूमि पर पुष्प नीलामी केन्द्र-सह थोक मण्डी का निर्माण कराया जायेगा जिसकी परियोजना लागत लगभग रू0 15 करोड़ होगी। यह परियोजना बंगलौर के बाद भारत की दूसरी परियोजना होगी।
- ❖ दुग्ध उत्पाद के सीधे विपणन हेतु नगरीय क्षेत्र मे 08 किसान दुग्ध मण्डियाॅ स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर है।
- ❖ उ0प्र0 मण्डी परिषद द्वारा लखनऊ एवं सहारनपुर में मैगो पैक हाउस की स्थापना एपीडा से मान्यता प्राप्त करके लखनऊ एवं सहारनपुर में स्थित मैगो पैक हाउसों का संचालन सम्बन्धित मण्डी समितियों द्वारा प्रारम्भ किया गया तथा 'नवाब' ब्राण्ड के नाम से उत्तर प्रदेश के दशहरी, चौसा तथा लगड़ा तीनों प्रजातियों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उतारा गया। इस प्रकार वर्ष 2004 में 'नवाब' ब्राण्ड का 26.10 टन आम देश-विदेश में निर्यात किया गया। अब मैंगों पैंक हाउस के

संचालन व प्रबन्धन की स्थायी व्वस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत संस्था पंजीकृत कराकर की जायेगी।

- ❖ कृषि उत्पादों के निर्यात फैसिलिटेशन हेतु योजना पर कार्य प्रारम्भ है। इसके तहत राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों का अध्ययन, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन तथा उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण आदि शामिल है।
- ❖ प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रात्साहित करने के उद्देश्य से रू0 10 करोड़ से अधिक लागत वाली इकाइयों को 05 वर्ष तक मण्डी शुल्क में छूट अनुमन्य होगी।
- ❖ नवीन मण्डी स्थलों में किसानां उपकरणों, बीज, जैविक, खाद व रक्षा रसायन आदि की व्वस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु पीलीभीत, हापुड, इटावा तथा उरई में कृषक सेवा केन्द्र का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- ❖ जिन्सों की बाजार दरें, संचालित योजनाओं तथा मण्डियों के क्रिया-कलापों की जानकारी किसान भाइयों को देने हेतु प्रदेश में स्थित मण्डी परिषद के सम्भागीय कार्यालयों में 'मण्डी हेल्प लाइन' योजना को प्रारम्भ किया गया है।

किसानों हेतु कल्याणकारी योजनायें

समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना

लाभार्थी

- उत्तर प्रदेश के समस्त मण्डी क्षेत्रों के किसान, खेतिहर मजदूर तथा मण्डी परिसर के मजदूर, जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलग्न है और कृषि सम्बन्धी बिजली उपकरणों अथवा कुओं की खुदाई अथवा गहराई बढ़ाने हेतु कार्यरत है अथवा ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उत्पादन की ढुलाई/थेसिंग करते समय तथा अन्य कृषि कार्य करते समय दुर्धटनाग्रस्त हो जाते है और उसके फलस्वरूप शरीीरिक क्षति/अपंगता या मृत्यु हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति हेतु मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा उक्त योजना संचालित की जा रही हे।

सहायता राशि

- न्यूनतम रू0 750/- मात्र छोटी अंगुली की क्षति होने पर।
- अधिकतम रू0 रू0 25000/- दुर्घटना द्वारा मृत्यू होने पर।

लाभ प्राप्ति हेतु प्राथमिक कार्यवाही:- 15 दिनों के अन्दर दुर्घटना की सूचना मण्डी सचिव अथवा परगनाधिकारी को देना होगा।

खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना

लाभार्थी

- उत्तर प्रदेश के समस्त मण्डी क्षेत्रों में मड़ाई हेतु रखी फसल/उपज /अवशेष अंश की अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति से सम्बन्धित किसान/उत्पादक।

सहायता राशि

- एक हेक्टेयर भूमि की जोत सीमा तक अधिकतम रू0 3000.00 अथवा वास्तविक क्षति जो भी कम हो।
- एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर तक भूमि की जोत सीमा तक अधिकतम रू0 4000.00 अथवा वास्तविक क्षति जो भी कम हो।
- दो हेक्टेयर से अधिक भूमि की जोत सीमा तक अधिकतम रू0 6000.00 अथवा वास्तविक क्षति जो भी कम हो।

लाभ प्राप्ति हेतु प्राथमिक कार्यवाही:- घटना के अधिकतम 7 दिनों के अन्दर सचिव/सभापति, मण्डी समिति को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना-पत्र (नि:शुल्क समिति कार्यालय में उपलब्ध) प्रस्तुत करना होगा।

छात्रवृत्ति योजना

शिक्षा संस्था	**छात्रवृत्ति (प्रति छात्र. प्रति माह)**	**छात्रो की संख्या**
प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय / कृषि संस्थान	रू0 1000.00	स्नातक स्तर के - 20 स्नातकोत्तर स्तर के - 05
प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय	रू0 800.00	स्नातक स्तर के - 08 स्नातकोत्तर स्तर के - 03
कृषि विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत होम साइंस की छात्राओं हेतु नयी योजना	रू0 1000.00	स्नातक स्तर के - 04 स्नातकोत्तर स्तर के - 02

लाभ प्राप्त करने हेतु प्राथमिक कार्यवाही : छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्राओं को अपने से सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करना चाहिए।

कृषक हेल्प लाइन

मण्डी परिषद ने किसानों के हित में कृषक हेल्प लाइन सेवा का वित्तीय पोषण किया है। यह सेवा चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा संचालित की जा रही है, जहां कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में अपरान्ह 1.00 बजे से 3.00 बजे के मध्य किसानों द्वारा दूरभाष पर पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। यह योजना पूर देश में अपने आप में अलग है क्योंकि यह फ्री काल पर आधारित है। दूरभाष संख्या - 1600335122 हैं।

इलाहाबाद डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय से भी ऐसी ही सुविधा कार्यालय कार्य दिवसों में प्रतिदिन 11.00 बजे से 3.00 बजे तक उपलब्ध है।

विशेष - उपर्युक्त दोनों टेलीफोन नम्बरों पर पीसीओ से या अपने टेलीफोन से कृषि से सम्बन्धित प्रश्न पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

मण्डी आवास-किसान उपहार योजना

उद्देश्य - किसान अपनी उपज सीधे मण्डी स्थल में स्वयं लाये और नीलामी द्वारा बिक्री उपरान्त व्यापारियों से 6-आर पर्चा अवश्य प्राप्त करें जिससे बिचौलियों के शोषण से उनकी मुक्ति हो सके और उन्हें अपनी उपज का वास्तविक भुगतान प्राप्त हो सकें।

इस योजना के अन्तर्गत रू0 5,000 तक के मूल्य के 6-आर पर्चे पर एक इनामी कूपन समिति कार्यालय पर मिलेगा। इस कूपन को तिमाही और छमाही में लाटरी द्वारा निकाले जाने वाले ईनाम में सम्मिलित किया जायेगा।

त्रैमासिक ड्रा

प्रत्येक त्रैमासिक की समाप्ति पर प्रत्येक सम्भाग में निम्नवत् उपहारों का वितरण होगा:-

उपहार	उपहार की वस्तु	प्रत्येक सम्भाग में उपहारों की संख्या
प्रथम	सींड ड्रिल	एक
द्वितीय	स्प्रेयर (कंधे पर टांगने वाला)	दो
तृतीय	धातु निर्मित बखारी (पांच कुन्तल)	तीन

छमाही बम्पर ड्रा

उपहार	उपहार की वस्तु	प्रत्येक सम्भाग में उपहारों की संख्या
प्रथम	ट्रैक्टर	एक
द्वितीय	राइस ट्रान्सप्लान्टर	एक
तृतीय	पावर टिलर	एक

प्रदेश में मण्डी परिषद के 15 प्रशासकीय सम्भागों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में प्रत्येक सम्भाग में प्रति त्रेमास 6 किसानों को तथा वर्ष में दो बार 3-3 किसानों को उपहार प्रदान करते हुए प्रतिवर्ष 450 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।

सम्पर्क करें- अपनी मण्डी समिति से।

मण्डी समितियों की अपेक्षायें।

- **(क) किसानों से अपेक्षायें**
- यथा सम्भव उपज की सफाई एवं छनाई आदि अपने स्तर पर करके ही उत्पाद को बेचने हेतु लाना चाहिए
- उपज की अच्छी गुणवत्ता दिखाने के लिए उत्पादक स्तर पर गेडिंग करना लाभकारी होता है और अच्छा मूल्य मिलता है। विशेषत: फल-सब्जियों में यह कार्य उत्पादक स्तर पर किया जा सकता है। अतएवं ग्रेडिंग के उपरान्त उपज मण्डी में बेचने के लिए लाना चाहिए।
- मण्डी में आने पर प्रवेश द्वार पर प्रवेश पर्ची अवश्य प्राप्त कर लें, इसका कोई पैसा नही लिया जाता है।
- मण्डी स्थल में उपज की सफाई-छनाई करने हेतु छलने, पंखे आदि उपलब्ध रहते हैं। कृषक अपने उपज की सफाई-छनाई मण्डी स्थल में भी कर सकते है। इसके लिए कोई शुल्क नही किया जाता है।
- नीलामी द्वारा बिक्री की दशा में उत्पाद को नीलामी स्थल पर लाकर ही बेचें जिससे उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिलेगा। विक्रय उपरान्त तौल मीट्रिक प्रणाली द्वारा होती है। यदि ऐसा न हो तो इसकी सूचना स्थल पर उपस्थित कर्मचारियों को अथवा मण्डी सचिव को देना चाहिए।
- विक्रय उपरान्त 6-आर पर्चा व्यापारी से अवश्य प्राप्त कर लें। इसमें उत्पाद का पूरा मूल्य अंकित रहता है और उसमें कोई कटौती अनुमन्य नहीं है। इसी पर्चे के आधार पर कृषकों को उपहार दिये जाने की भी व्यवस्था है।

- तुरन्त भुगतान न होने की दशा में मण्डी समिति के सचिव से सम्पर्क किया जा सकता है।
- अन्य किसी गड़बड़ी होने की आशंका की स्थिति में मण्डी स्थल पर उपस्थित कर्मचारी अथवा सचिव, मण्डी समिति से सम्पर्क करना चाहिए।

(ख) व्यापारियों से अपेक्षायें

- लाइसेंस की शर्तो का पूर्णतः पालन करना चाहिए।
- क्रय-विक्रय मण्डी समिति द्वारा निर्दिष्ट सीान पर ही किया जाना चाहिए। निजी भवनों, मिलों आदि पर क्रय किसी दशा में न करें।
- किसानों उत्पाद विक्रय हेतु लाये जाने पर उसके द्वारा यदि स्वयं सफाई-छनाई करने की सुविधा की इच्छा व्यक्त की जाती है तो यह सुविधा उसे अपने श्रम पर दे देना चाहिए।
- नीलामी की दशा में सम्पूर्ण क्रय नीलामी में सम्मिलित होकर ही किया जाना चाहिए।
- माप-तौल मीट्रिक प्रणाली द्वारा सही एवं शुद्ध होना चाहिए। भार में किसी प्रकार की कटौती अनुमन्य नहीं है। क्रय उपरान्त कृषक के लिए 6-आर पर्चा जारी करके उसके हस्ताक्षर कराते हुए 6-आर की प्रति तुरन्त कृषक/विक्रेता को दे दी जानी चाहिए।
- कृषकों का भुगतान तत्काल किया जाना चाहिए।
- मण्डी समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सभी सूचनायें पूर्ण रूप से अद्यावधिक रखनी चाहिए और मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

जवाब देही

क्रय विक्रय स्थल पर	-	स्थल पर तैनात मण्डी सहायक/मण्डी निरीक्षक/मण्डीी पर्यवेक्षक जवाबदेह है।
समिति स्तर पर	-	सचिव, मण्डी समिति के सम्पूर्ण कार्यो के प्रति जवाबदेह है।
जिला स्तर पर	-	जिला स्तर पर मण्डी समिति/परिषद का कोई कार्यालय नही है।

सम्भाग स्तर पर - सम्भाग की सभी मण्डी समितियों के कार्य-कलापां तथा संभागीय कार्यालयों के कार्य संचालन के प्रति संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन) जवाबदेह है। निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में निर्माण निर्माण खण्ड के अन्तर्गत आने वाली मण्डियों के लिए क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता जवाबदेह है।

सम्पर्क व्यक्ति

समिति स्तर पर - मण्डी समिति के किसी भी कर्मचारी अथवा व्यापारी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत के लिए सचिव, मण्डी समिति से सम्पर्क किया जा सकता है। मण्डी समिति का कार्यालय निर्मित मण्डी स्थल के अन्दर ही स्थापित है। जिन स्थानों पर स्थल निर्मित नही है उनमें बाजार के निकटतम स्थान पर ही मण्डी समिति के कार्यालय स्थापित है।

जिला स्तर पर - जनपद की किसी भी मण्डी समिति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सम्बन्धित मण्डी के सभापति (उपजिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी) से सम्पर्क किया जा सकता है।

सम्भाग स्तर पर - मण्डी समितियां के किन्ही भी कार्य-कलापों एवं निर्माण कार्यो की शिकायत के सम्बन्ध में सम्बन्धित सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन) से सम्पर्क किया जा सकता है।

अपनी समस्याओं के समाधान हेतु सम्पर्क करें:-

सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन)

क	सम्भाग का नाम	अधिकारी का नाम	कार्यालय पता	एस.टी.डी. कोड	कार्यालय	आवास
1.	मेरठ	श्री पी0के0 सिंह	ए-3, दामोदर कालोनी, गढ़ रोड, मेरठ।	0121 फैक्स	2763268 2763268	2765747
2.	आगरा	श्री सहदेव **पी0सी0एस0**	नवीन फल एवं सब्जी मण्डी स्थल, राष्ट्रीय राजमार्ग-2, सिकन्दरा, आगरा।	0562 फैक्स	2642537 2642537	2641957

3.	झांसी	श्री अखिलेश सिंह पी0सी0एस0	थ्कसान मण्डी भवन, कानपुर रोड़, झांसी।	1517	2441294	2440342
4.	इलाहाबाद	श्री आर0पी0 सिंह पी0सी0एस0	संगम प्लेस, 10वां तल, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।	1532 फैक्स	2560025 2560025	2468857
5.	वाराणसी	श्री सर्वज्ञ राम मिश्रा पी0सी0एस0	एस-25/221, वी. के. पंचकोशी रोड, अर्दली बाजार, वाराणसी।	0542 फैक्स	2502849 2502849	2501350
6.	गोरखपुर	रिक्त	नवीन मण्डी स्थल, महेवा चुंगी, गोरखपुर।	0551 फैक्स	2321228 2321228	--
7.	लखनऊ	श्री हरबंश सिंह चुघ पी0सी0एस0	किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।	0522	2720325	2720851
8.	बरेली	श्री भगवान सिंह पी0सी0एस0	नवीन मण्डी स्थल, पीलीभीत रोड, बरेली।	0581 फैक्स	2315640 2315640	2473850
9.	मुरादाबाद	श्री महक सिंह पी0सी0एस0	सी-9 दीनदयाल नगर, कांठ रोड, मुरादाबाद।	0591 फैक्स	2450244 2450244	2480453
10.	कानपुर	श्री हेमन्त कुमार पी0सी0एस0	नवीन मण्डी स्थल, हमीरपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर (नगर)।	0512 फैक्स	2626230 2626230	--
11.	फैजाबाद	श्री हरबंस सिंह चुघ पी0सी0एस0	नवीन मण्डी स्थल, रायबरेली रोड, फेजाबाद।	05278 फैक्स	246164 246164	2720851 (0522)
12.	आजमगढ़	श्री सवैज्ञ राय मिश्र पी0सी0एस0	नवीन मण्डी स्थल, वेलइसा (नीबी) आजमगढ़।	05462	245521	--
13.	मिर्जापुर	श्री आर0पी0 सिंह पी0सी0एस0	नवीन मण्डी स्थल, जंगी रोड, मिर्जापुर।	05442	245992	--
14.	सहारनपुर	श्री वेद प्रकाश सिंह पी0सी0एस0	नवीन मण्डी स्थल, चिल्काना रोड, सहारनपुर।	0132 फैक्स	2659835 2659835	2762501
15.	बस्ती	श्री हरबंश सिंह चुघ पी0सी0एस0	नवीन मण्डी स्थल, बस्ती।	05542 फैक्स	242198 242198	2720851 (0522)

श्रेत्रीय उपनिदेशक (निर्माण)/विद्युत खण्ड

क्र. सं. .	निर्माण खण्ड का नाम	अधिकारी का नाम	एस.टी.डी. कोड	कार्यालय	आवास
1.	मेरठ	श्री जे0के0 सिंह	0121	2763038	--
2.	गाजियाबाद	श्री जे0के0 सिंह	0120	2765227	2703971
3.	बुलन्दशहर	श्री जे0के0 सिंह	05732	227458	220316
4.	गाजियाबाद(वि.यां.खण्ड)	श्री अवधेश सिंह	0120	2897629	2400748
5.	सहारनपुर	श्री आर0एस0 त्यागी	0132	2656703	2763503
6.	आगरा	श्री हाकिम सिंह	0562	2642550	2530590
7.	अलीगढ़	श्री पी0सी0 जैन	0571	2760598	2740130
8.	फिरोजाबाद	श्री हाकिम सिंह	05612	230262	--
9.	मुरादाबाद	श्री वी0पी0 सिंह	0591	2450723	2454133
10.	रामपुर	श्री हरीराम	0595	2341795	--
11.	बरेली	श्री रघुवीर शर्मा	0581	2315732	3100612
12.	बदायूं	श्री एस0एन0पी0 यादव	05832	269583	2315035
13.	शाहजहांपुर	श्री आर0सी0 वर्मा	05842	235142	--
14.	पीलीभीत	श्री रघुवीर शर्मा	05882	256450	3100612
15.	बरेली (वि.यां.खण्ड)	श्री एल0के0 गुप्ता	0581	2315601	--
16.	लखनऊ-1	श्री एस0एन0 मिश्रा	0522	2720383	2308488
17.	लखनऊ-2	श्री पवन कुमार	0522	2720383	2397218
18.	लखनऊ-3	श्री एस0आर0 सक्सेना	0522	2720384	2324611
19.	अनुरक्षण खण्ड मुख्यालय	श्री पवन कुमार	0522	2720383	2397218
20.	लखनऊ (वि.यां.खण्ड)	श्री बलिराम यादव	0522	2720383	2355184
21.	सीतापुर	श्री आर0एस0 यादव	05862	243726	248564
22.	कानपुर नगर	श्री बी0आर0 सिंह	0512	2626124	--
23.	कानपुर देहात	श्री अतर सिंह	0512	2626471	--
24.	फरूखाबाद	श्री गोपाल सिंह	05692	227255	236234
25.	झांसी	श्री आर0एस0 वर्मा	0517	2441376	2482636
26.	बांदा	श्री अतर सिंह	05192	221838	221828

27.	इलाहाबाद	श्री आर0बी0 सिंह	0532	2560041	2440486
28.	इलाहाबाद(वि.यां.खण्ड)	श्री ए0के0 सिंह	0532	2560875	
29.	फैजाबाद-1	श्री आर0टी0 यादव	05278	245292	
30.	फैजाबाद-2	श्री वी0के0 सक्सेना	05252	231653	
31.	सुल्तानपुर	श्री फखरेआलम खॉ	05362	231209	231017
32.	वाराणसी	श्री ए0के0 कपूर	0542	2586797	2210377
33.	मिर्जापुर	श्री स्वामीनाथ	05442	245121	
34.	आजमगढ़	श्री शिव बहादुर	05462	245523	
35.	गोरखपुर	श्री बी0एन0 शर्मा	0551	2320852	
36.	बस्ती	श्री बी0एन0 शर्मा	05542	242010	

मुख्यालय का पता

निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

फोन नं0 2720384, 2720383, 2720405 फक्स : 0522-2720382

Visit us at : www.upagrimart.com

विशेष - प्रदेश की किसी भी मण्डी समिति/सम्भागीय कार्यालय/निर्माण खण्ड से सम्बन्धित समस्याओं एवं शिकायतों के बारे में उक्त पते पर मण्डी निदेशक को सम्बोधित पत्र भेजना चाहिए।